न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 514–दो/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–1–15 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण क्रमांक 418/10–11/अपील.

1– जयराम पिता हीरासिंह
2– सीताराम पिता हीरासिंह
निवासीगण ग्राम सिंगावदा
तहसील व जिला देवास .....आवेदकगण

विरूद्ध

तुलसीराम पिता बोंदाजी
निवासी ग्राम सिंगावदा
तहसील व जिला देवास .....अनावेदक

श्री एन0एस0 सिसोदिया, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री संदीप मेहता, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/8/2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–1–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, देवास के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सिंगावदा तहसील देवास

स्थित कृषि भूमि सर्वे नम्बर 449, 450 व 453 रकबा क्रमशः 0.100, 0.150 व 0.150 हेक्टेयर भूमि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की है । उक्त भूमि से लगी भूमि आवेदकगण की है । दिनांक 26–6–2009 को सीमांकन कराये जाने पर अनावेदक की भूमि 20 मीटर x 3 मीटर उत्तरी मेढ़ पर आवेदकगण का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 35/अ–70/2008–09 दर्ज कर दिनांक 28–4–2011 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि से आवेदकगण को बेदखल किया गया एवं अवैध कब्जा दिलाने हेतु राजस्व निरीक्षक को पृथक से आदेशित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, देवास के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 19/अपील/2010–11 दर्ज कर दिनांक 30–6–2011 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 20–1–15 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन की कार्यवाही विधिवत नहीं है, क्योंकि सीमांकन कार्यवाही बिना आवेदकगण को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये उनके पीठ पीछे की गई है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण उनके पूर्वजों के समय से रास्ते के रूप में उपयोग करते चले आ रहे हैं । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का कब्जा होना प्रमाणित नहीं है, और राजस्व निरीक्षक के कथनों से भी आवेदकगण का प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा सिद्ध नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि मौके पर तार फैंसिंग नहीं है, और अनावेदक जहां कब्जा होना बता रहे हैं, वहां रास्ता है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

तर्कों के समर्थन में 1993 आर.एन. 363, 1999 आर.एन. 135 (उच्च न्यायालय), एवं 2014 आर.एन. 69 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अनावेदक के पक्ष में समवर्ती निष्कर्ष दिये हैं, और प्रकरण में विधि का कोई प्रश्न निहित नहीं होने से निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अनावेदक द्वारा कृषि भूमि सर्वे कमांक 451 कय की गई है । तहसील न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सीमांकन में 60 वर्गमीटर भूमि पर ओंकारसिंह आदि ने जबरन कब्जा किया है, और यह तथ्य साक्ष्य से प्रमाणित है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध पारित बेदखली के आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा असत्य आधारों पर संहिता की धारा 131, 132 के अंतर्गत तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

(4) संहिता की धारा 129 के प्रावधानों का विधिवत पालन किया जाकर सीमांकन आदेश पारित हुआ है ।

(5) आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं ।

तर्कों के समर्थन में 1997 आर.एन. 92 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण द्वारा अनावेदक के आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए आधार लिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन संहिता की धारा 129 के अंतर्गत विधिवत नहीं किया गया है, अतः ऐसे सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रकरण प्रचलित नहीं हो सकता है, और प्रश्नाधीन भूमि रास्ते की भूमि है, जिसका उपयोग अनेक वर्षो से रास्ते के लिये हो रहा है, परन्तु तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की ओर से उठाये गये उपरोक्त आधारों पर विचार किये बिना गुण–दोष पर अंतिम आदेश पारित किया गया है, जो कि वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित प्रकिया नहीं है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा केवल यह उल्लेख करते हुए कि संहिता की धारा 129 के अंतर्गत विधिवत सीमांकन किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का अनाधिकृत कब्जा पाया गया है, आदेश पारित किया गया है, और उनके द्वारा इस संबंध में कोई विश्लेषण नहीं किया गया है कि किस प्रकार से किया गया सीमांकन विधिसंगत है, इस संबंध में आवेदकगण की ओर से उनके समक्ष स्पष्टतः यह आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि तहसीलदार द्वारा उनकी उपस्थिति में न तो सीमांकन किया गया है, और न सीमांकन में

उनके सहित पड़ोसी कृषकों को किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित आदेश होने से निरस्त किये जाने योग्य है, और चूंकि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा बिना उपरोक्त वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किये तहसीलदार के विधि विपरीत आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिए उनके आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे सर्वप्रथम आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए उनका निराकरण करें, तत्पश्चात प्रकरण में गुण–दोष पर अंतिम आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–1–15, अनुविभागीय अधिकारी, देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–6–2011 एवं तहसीलदार, देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–4–2011 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही कर निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर